पटना में दिनांक—14 फरवरी, 2015 मंगलवार को अपराह्न 12:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. बिहार उर्दू अकादमी पटना को वित्तीय वर्ष 2014—15 में सहायक अनुदान—वेतन मद में 36.62 लाख रूपये एवं विकासात्मक कार्य हेतु 160.00 लाख रूपये अर्थात् कुल 196.62 लाख रूपये मात्र की अतिरिक्त राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

   1. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

2. दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा को डा० जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, दरभंगा के रूप में पुर्ननामित करने के संबंध में।

   2. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

3. महादलित के विकास हेतु संचालित योजनाओं का लाभ के लिए अनु० जाति के अन्तर्गत दुसाध (धाड़ी एवं धरही सहित) के परिवारों को सम्मिलित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

   3. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

4. अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विकास हेतु संचालित योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए विकास मित्रों का चयन अनु० जन जाति के परिवारों में से किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव।

   4. **पंचायत में अनु० जनजाति की संख्या 20 प्रतिशत होने के साथ स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

5. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा राज्य योजनान्तर्गत पटना जिलाधीन बेली पथ में शेखपुरा एवं जगदेव पथ मोड़ के बीच 94x25.00 मीटर आकार के पहुँच पथ, रिटेनिंग वाल, सर्विस पथ, पथ जंक्शन, विद्युतीकरण एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्य सहित चार लेन उपरी पुल (Flyover) का निर्माण कार्य कुल 32139.60 लाख (तीन सौ इक्कीस करोड़ उनचालीस लाख साठ हजार) रूपये के द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

   5. **स्वीकृत।**

	विधि विभाग		
6.	विधि विभाग में गठित "बिहार स्टेट लिटीगेशन सेल" के लिए संविदा पर नियोजन हेतु सृजित विधि पदाधिकारी के एक पद पर नियोजित श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधिश, परिवार न्यायालय के दिनांक–10.02.2014 से किए गये नियोजन की घटनोत्तर स्वीकृति तथा उनके पारिश्रमिक एवं सेवाशर्त्त निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।
	शिक्षा विभाग		
7.	श्री सैयद मोहम्मद करीम, कुलसचिव, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना को निदेशक, उच्च शिक्षा बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त घटनोत्तर स्वीकृति एवं सेवा शर्त्तों को निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।
	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग		
8.	"बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली–2015" को लागू किये जाने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।